बिहार राज्य वित्तीय निगम
फ्रेजर रोड, पटना–800001

एकमुश्त ऋण निपटारा योजना–2014

1. बिहार राज्य वित्तीय निगम ने स्कीम के प्रावधानों के अधीन चयनित श्रेणियों के बकायेदार प्रवर्त्तकों/इकाइयों के लिए एक मुश्त निपटारा योजना–2014, जो दिनांक 01.09.2014 से 31.03.2015 तक लागू था, को दिनांक 30.06.2015 तक कुछ संशोधनों के साथ विस्तारित किया है । संशोधित योजना निम्न प्रकार हैः–

   क–श्रेणी–अः इकाइयों की परिसम्पत्तियों की बिक्री के पश्चात् मूल इकाइयों/प्रवर्त्तकों के नाम बचे ऋण लेखा का निपटारा दिनांक 31.03.2014 को या इकाई के परिसम्पत्तियों की बिक्री की तिथि को बकाये मूलधन की राशि (योजना के प्रावधानों के अनुसार जो भी लागू हो) के 150% पर किया जाएगा ।

   ख–श्रेणी–बः दिनांक 31.03.2014 को मूलधन बकाये का 100% की दर से ऋण लेखा का निपटारा किया जाएगा, जहाँ सरकार के द्वारा अधिग्रहण या न्यायालयों के आदेश के तहत बेदखली या जहाँ इकाई की जमीन निजी पट्टे (private lease) पर है।

   ग–श्रेणी–सः दिनांक 31.03.2014 को मूलधन बकाये की राशि का 100% की दर से ऋण लेखा का निपटारा किया जाएगा, जहाँ विशेष योजनाओं, यथाः कम्पोजिट ऋण, सेम्फेक्स ऋण, इन्टीग्रेटेड ऋण, महिला उद्यम निधि, शिक्षित बेरोजगार ऋण एवं किराये/लीज की जमीन/मकान पर दिया गया रू5.00 लाख तक का स्वीकृत ऋण।

2. योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन–पत्र इत्यादि प्राप्त करने हेतु प्रभारी, समन्वय प्रभाग, प्रधान कार्यालय, फ्रेजर रोड, पटना–1 अथवा निगम के स्थानीय शाखा कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। योजना की जानकारी एवं आवेदन–पत्र बिहार राज्य वित्तीय निगम के वेबसाईट www.bsfc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

प्रबन्ध निदेशक